POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 17.03.2024

1.थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा, एम0बी0बी0एस0 कालेज में दाखिला कराने के नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधडी करने वाला 20,000 रूपये का इनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 17.03.2024 को थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा, लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये गोल चक्कर के पास सेक्टर-62, नोएडा से एम0बी0बी0एस0 कालेज में दाखिला कराने के नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधडी करने वाला 20,000 रूपये का इनामी वांछित अभियुक्त अंकित उर्फ गोरा उर्फ भानू प्रताप सिंह गंगवार पुत्र लाल राम **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त अंकित उर्फ गोरा उर्फ भानू प्रताप सिंह गंगवार उपरोक्त ने बताया कि एमबीबीएस मे दाखिले के नाम पर धोखाधडी व फर्जी दस्तावेज बनाकर उनको जनता को दिखाकर लाखो रुपये एडमिशन के नाम पर हडप लेते थे जैसे ही एडमिशन की तारीख निकट आती थी तो हम लोग ऑफिस बन्द करके भाग जाते है। अभियुक्त अंकित उर्फ गोरा उर्फ भानू प्रताप सिंह गंगवार उपरोक्त काफी दिनो से लगातार फरार चल रहा था, जिस पर 20,000 रूपये का इनाम घोषित था। पूर्व में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. अंकित उर्फ गोरा उर्फ भानू प्रताप सिंह गंगवार पुत्र लाल राम निवासी ग्राम व पोस्ट अंगदपुर खमडिया थाना भुतहा जनपद बरेली उ0प्र0 व म0नं0-6/11 सैनिक कालोनी संजय नगर जिला बरेली हाल प्लाट नं0 221 फ्लैट सं0 जी-4, नीति खण्ड 1 इन्दिरापुरम गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0-52/2021, धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा
2. मु0अ0सं0-53/2021, धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा
3. मु0अ0सं0-54/2021, धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा
4. मु0अ0सं0-55/2021, धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी, 507 भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा

5. मु0अ0सं0-147/2021, धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा
6. मु0अ0सं0-244/2022, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सैक्टर-58, नोएडा

2.थाना इकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा वांछित हिस्ट्रीशीटर अपराधी को अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 17.03.2024 को थाना इकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व बीट पुलिसिंग की सहायता से वांछित हिस्ट्रीशीटर अपराधी चरत उर्फ कुकू पुत्र जागन सिंह को अवैध असलाह के साथ पुवारी प्राईमरी स्कूल के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है। अभियुक्त शातिर किस्म का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जो आये दिन लडाई-झगड़ा करता है और अस्लाह दिखाकर लोगो को डराता धमकाता है। अभियुक्त द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर मु0अ0सं0-28/2024 धारा 323/504/506 भादवि के वादी के साथ मारपीट की गयी थी व तमंचा दिखाकर डराया धमकाया गया था। जिसमें अभियुक्त वांछित चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. चरत उर्फ कुकू पुत्र जागन सिंह निवासी ग्राम इमलियाका, थाना ईकोटेक प्रथम, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 45 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1- मु0अ0सं0-148/2004 धारा 147/148/149/504/504/427/429 भादवि थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।
2- मु0अ0सं0-246/2004 धारा 147/148/149/307/509 भादवि थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।
3- मु0अ0सं0-247/2004 धारा 307 भादवि थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।
4- मु0अ0सं0-255/2004 धारा 307 भादवि थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।
5- मु0अ0सं0-70/2005 धारा 406/411 भादवि थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।
6- मु0अ0सं0-303/2005 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।
7- मु0अ0सं0-376/2005 धारा 147/148/149/307/353 भादवि थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।
8- मु0अ0सं0-51/2006 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।
9- मु0अ0सं0-28/2024 धारा 323/504/506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ईकोटेक प्रथम, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

3.थाना फेस 2 पुलिस व बदमाश के बीच हुयी मुठभेड में लुटेरा बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मो०सा०, लूट के 02 मोबाइल तथा अवेध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 17.03.2024 को थाना फेस-2 पुलिस द्वारा, भंगेल कट पर चैकिंग की जा रही थी तभी बिना नम्बर प्लेट की मो0सा0 पर एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया। पास आने पर उसको रूकने का संकेत दिया तो मो0साइकिल सवार व्यक्ति पीछे मुडकर नाले की तरफ भागने लगा। भंगेल के पीछे नाले वाले रास्ते पर पुलिस द्वारा पीछा करने पर, अपने आपको घिरता देख अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई कार्रवाई में बदमाश आदित्य खारी पुत्र विजेन्द्र खारी नि0 गांव सलेमपुर, जिला सहारनपुर उम्र 24 वर्ष घायल हो गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 चोरी की मो0सा0 स्पलैण्डर प्लस रजि0न0 डीएल 5 एस बी एच 6424, 02 लूटे गये मोबाइल सैमसंग कम्पनी,. 01 तंमचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. आदित्य खारी पुत्र विजेन्द्र खारी नि0 गांव सलेमपुर, थाना नागल जिला सहारनपुर उम्र 24 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 125/2024 धारा 307,414 भा0द0वि0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना फेस 02 गौतमबुद्धनगर

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 158/2023 धारा 379,411 भा0द0वि0 थाना सैक्टर 24 जिला गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 639/2023 धारा 392 भा0द0वि0 थाना सैक्टर 39 जिला गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 654/2023 धारा 392, 411 भा0द0वि0 थाना सैक्टर 39 जिला गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 656/2023 धारा 392, 411 भा0द0वि0 थाना सैक्टर 39 जिला गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0सं0 659/2023 धारा 414 भा0द0वि0 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सैक्टर 39 जिला गौतमबुद्धनगर
6. मु0अ0सं0-10960/23 ई पुलिस स्टेशन एमबी थेफ्ट जिला क्राइम ब्रान्च दिल्ली

बरामदगी का विवरण--

1. 01 चोरी की मो0सा0 स्पलैण्डर प्लस रजि0न0 डीएल 5 एस बी एच 6424
2. 02 अदद लुटे गये मोबाइल सैमसंग कम्पनी
3. 01 तंमचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस